

नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

दिनांक : 27 अगस्त, 2020

पत्र संख्या- 50/02 /OM&M /2020-21

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 07.08.2020 का कार्यवृत्त।

विषय:- उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone)

संदर्भ:- 1. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020
2 नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार है:-

		अध्यक्ष
1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	
2	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
4	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के निर्देश के क्रम में, उक्त समिति की बैठक सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक एवं फर्मों के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

2. बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-2) एवं वांछित निर्णय लिये गये।

3. मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, द्वारा अनुबंध सं0-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package- 4, Lucknow Zone के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2019 से लखनऊ शहर के 3 एस.टी.पी., 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 2140 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं एवं कार्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। यह अवगत कराया गया है कि अनुबंध के सेक्शन-2, वलाज 2.8 के तहत मेजर रिप्लेसमेंट फण्ड के सापेक्ष, कुकरैल पम्पिंग स्टेशन के 6 पम्प में से 3 नये पम्प लगाये जाने एवं 3 पुराने पम्पों को मरम्मत कराते हुये कुकरैल पम्पिंग स्टेशन संचालित किये जाने की कार्यवाही हेतु विगत बैठक दिनांक 12.06.2020 में निर्णय लिया गया था। 3 पुराने पम्पों को मरम्मत कराते हुये कुकरैल पम्पिंग स्टेशन संचालन किया जा रहा है किन्तु 3 नये पम्प लगाये जाने की स्वीकृति लम्बित है। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, द्वारा माह दिसम्बर, 2019 से 15 जून के मध्य गोमती नदी में फ्लोटिंग सोलिड वैस्ट एवं जलकुम्ही को हटाने के लिये संचालित किये गये Trash Skimmer के भुगतान के संबंध में अनुरोध किया गया। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, द्वारा ESCROW Account के अनुबंध में यह शर्त जोड़ने हेतु अनुरोध किया कि विभाग द्वारा पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल भुगतान होने के एक सप्ताह पश्चात ESCROW Account में ESCROW Fund उनके द्वारा जमा किया जायेगा। मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, द्वारा ESCROW Account अभी तक खोला नहीं

गया है। मेसर्स सुएज इण्डिया प्राप्ति०, द्वारा उक्त प्रस्तावित शर्त OM&M अनुबन्ध के विपरीत है अतः इस शर्त को ESCROW Account खोलने के अनुबन्ध में शामिल नहीं किया जा सकता है।
निर्णय: यह निर्णय लिया गया कि कुकौरैल पम्पिंग स्टेशन हेतु 3 नये पम्प लगाये जाने की स्वीकृति की कार्यवाही महाप्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई०, उ०प्र०जल निगम, लखनऊ द्वारा एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करा ली जाये। (कार्यवाही—महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ)

मेसर्स सुएज इण्डिया प्राप्ति० द्वारा संचालित किये गये TRASH SKIMMER के भुगतान के संबंध में कार्यवाही हेतु एक बैठक मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन के स्तर पर यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जाये जिसमें नगर आयुक्त, एक बैठक मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन के स्तर पर यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जाये जिसमें नगर आयुक्त, एक बैठक मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन के स्तर पर यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जाये जिसमें नगर आयुक्त, एक बैठक मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन के स्तर पर यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जाये। (कार्यवाही—मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ)

मेसर्स सुएज इण्डिया प्राप्ति० द्वारा तत्काल एक सप्ताह के अन्दर ESCROW Account खोलते हुये अनुबन्ध के तहत वांछित धनराशि मेसर्स सुएज इण्डिया प्राप्ति० द्वारा जमा की जाये एवं विभाग द्वारा विलम्ब से प्रश्नगत माह में भुगतान होने की दशा में फर्म के अनुरोध पर ESCROW Fund विलंब से जमा किये जाने पर छूट दिए जाने पर विचार किया जायेगा। (कार्यवाही—मेसर्स सुएज इण्डिया प्राप्ति०)

4. मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं०-०९ /SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 6, Agra Zone के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से आगरा शहर के लिए 7 एस.टी.पी., 28 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 910 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके संबंध में परियोजना प्रबंधक, मेसर्स बी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड, आगरा द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं तथा कार्य के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया गया। फर्म द्वारा अनुरोध किया गया है कि उ०प्र० जल निगम द्वारा दिसंबर 2019 एवं जनवरी 2020 का बिल का पुनः परीक्षण किया जाय।

निर्णय: फर्म द्वारा माह मई एवं जून 2020 की MPR (Monthly Progress Report) जमा की गयी। महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इ० जल निगम आगरा MPR पर अपनी टिप्पणी फर्म को उपलब्ध करायें एवं Monthly Work Programme को अपने स्तर पर अनुमोदित करें। (कार्यवाही—समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम/महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा (आगरा जोन)/मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड)

उक्त कार्यवाही समस्त महाप्रबन्धक उ०प्र० जल निगम द्वारा लखनऊ, गोरखपुर एवं गाजियाबाद जोन के OM&M Contracts पर भी सुनिश्चित की जाय। (कार्यवाही—समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम/महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/समस्त फर्म)

5. मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं०-०९ /SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 8, Ghaziabad Zone के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से गाजियाबाद जोन के 15 एस.टी.पी. में से 14 एस.टी.पी. 44 पम्पिंग स्टेशन एवं 2795 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके संबंध में परियोजना प्रबंधक, मेसर्स बी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं तथा कार्य के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया गया। मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के तहत जो कार्य कराये जाने हैं उनके प्रस्ताव मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा स्वीकृति हेतु जल निगम को दिये गये हैं किंतु कुछ समय बाद Observations दिए जाने के कारण विलंब हो रहा है।

मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, द्वारा अवगत कराया गया कि 16 दिसंबर 2019 से गाजियाबाद जोन के OM&M का कार्य प्रारंभ किया गया है किंतु फर्म द्वारा 15 जून 2020 तक 6 माह पूर्ण होने के बावजूद भी इंदिरापुरम के 74 एम०एल०डी० एवं 56 एम०एल०डी०, दूड़ाहोँडा के 70 एम०एल०डी० तथा लोनी के 30 एम०एल०डी० एसटीपी आपरेशनल नहीं किये गये हैं। फर्म को एसटीपी की क्षमता के सापेक्ष 60 प्रतिशत भुगतान किया गया है (लोनी के अतिरिक्त)। इससे प्रतीत होता है कि मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा उक्त एसटीपी पर वांछित अनुरक्षण एवं इंप्रूवमेंट कार्य नहीं किए गये हैं जिससे एसटीपी आपरेशनल हो सकें।

निर्णय: फर्म को प्रदान की गयी प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक की समयवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त एस०टी०पी० को आपरेशनल करने में समय सीमा वृद्धि के बिन्दु

पर प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० जल निगम का अभियन्ता प्राप्त किया जाये। मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा समर्त वांछित अनुरक्षण, इंप्रूवमेंट एवं रिप्लेसमेण्ट कार्य करते हुए उक्त डिफंक्ट एसटीपी को यथाशीघ्र तक अपरेशनल करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड/ मुख्य अभियन्ता एवं महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम/ गाजियाबाद (गाजियाबाद जोन)

मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड तथा उ०प्र० जल निगम मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के तहत समर्त प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर संयुक्त रूप से तैयार कर लें एवं निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दें। (कार्यवाही—मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड / मुख्य अभियन्ता एवं महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम / महाप्रबन्धक, उ०प्र० जलकल / गाजियाबाद (गाजियाबाद जोन)।

- 6 मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं०-०९/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 5, Gorakhpur Zone के अन्तर्गत दिनांक 28.12.2019 से गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर शहर के लिए 4 एस.टी.पी., का संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके संबंध में परियोजना प्रबंधक, मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं तथा कार्य के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया गया। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि लंबित भुगतान शीघ्र करा दिये जायें जिससे एस.टी.पी., का संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन के कार्यों में समय से सुधार किया जा सके। मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि IITR-CSIR को थर्ड पार्टी टेस्ट हेतु नामित किया गया है जिसकी लेबोरेटरी लखनऊ में स्थित है। गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर शहर दूर होने की वजह से प्रति सप्ताह सैम्प्ल लखनऊ में दिक्कत आ रही है तथा प्रति सैम्प्ल लगभग ₹० 70000/ का व्यय आ रहा है इस प्रकार थर्ड कलेक्शन में दिक्कत आ रही है तथा प्रति सैम्प्ल लगभग ₹० 70000/ का व्यय आ रहा है इस प्रकार थर्ड पार्टी सैम्प्ल पर अत्यधिक व्यय होने के कारण थर्ड पार्टी टेस्ट Viable नहीं होगा। अतः अनुरोध है कि सैम्प्ल की Frequency को माह में सिर्फ एक बार रखा जाये या अन्य विकल्प पर विचार किया जाये।

(कार्यवाही—महाप्रबन्धक, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर)

निर्णयः मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा संज्ञान में लाये गये बिंदुओं का प्रस्ताव नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाय जिस पर वांछित निर्णय सक्षम रूप से लिया जायेगा।

- 7 उ०प्र० जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ०प्र० जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का 10 प्रतिशत सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
- 8 प्रबंध निदेशक जल निगम द्वारा फर्म को निर्देश दिए गये कि एसेट्स एवं सीवर नेटवर्क की जीआइएस मैपिंग की जाय उसके पश्चात ही सीवर नेटवर्क में हो रहे वैरिएशन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

9 समिति की संस्तुति/ निर्णय :-

उपरोक्तानुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन के माह मई एवं जून, 2020, पैकेज-6 आगरा जोन के माह फरवरी/ मार्च (अवशेष), मई एवं जून 2020, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन के माह अप्रैल (अवशेष भुगतान), मई और जून 2020 एवं पैकेज-5 गोरखपुर जोन के माह दिसम्बर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2020 (अवशेष भुगतान) तक के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल एवं फर्म की Laboratory की प्रत्येक दिन की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार धनराशि उ०प्र० जल निगम को शासन/ निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) उ0प्र0 जल निगम को पैकेज-4, लखनऊ जोन (मेसर्स सुएज इण्डिया प्राप्ति), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-3)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल की धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
1	7 th Payment Certificate/ Bill- May 2020	रु0 6,76,39,001.04 (फर्म को भुगतान रु0 6,00,34,292.00 + जीएसटी रु0 72,04,115.04 + डीजल रु0 4,00,594.00)	अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	8 th Payment Certificate/ Bill- June 2020	रु0 67717199.51 (फर्म को भुगतान रु0 60104112.51 + जीएसटी रु0 7212493 + डीजल रु0 4,00,594.00)	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र. सं.	विवरण	7 th Payment Certificate/ Bill- May 2020 (in rupees)	8 th Payment Certificate/ Bill- June 2020 (in rupees)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु0 56247800.97	रु0 59393641.83
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु0 6749736.12	रु0 7127237.02
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	रु0 400594	रु0 400594
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	रु0 5624780.10	रु0 5939364.18
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	रु0 69022911.19	रु0 72860837.03
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		141883748.22/-

महाप्रबन्धक, गोप्र0निझकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा डीजल का भुगतान अवमुक्त करने के पहले बिल / बाउचर्स का सत्यापन अपने स्तर पर कर लिया जाये। 7th & 8th Payment Certificate/ Bill- May, June 2020 में प्रस्तावित एल0डी0 को पुनः अनुबन्ध के प्राविधान एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अनुमोदित वर्क प्रोग्राम को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित एल0डी0 को रिव्यूव किया जाये।

उक्त के क्रम में लखनऊ जोन हेतु उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रु0 141883748.22/- की संस्तुति की गयी।

(iii) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-6, आगरा जोन (मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-4)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
1	Balance Amount for 3 rd Payment	रु0 35124197.78 (फर्म को भुगतान रु0 34440172.86	अनुबन्ध के तहत 15 मई 2020 को सम्पन्न बैठक में Adhoc Payment रु0 2857495

	Certificate/ Bill- Feb, 2020	+ जीएसटी रु 0 4145806.90 + Diesel 108218.01) - LD of रु 0 3570000	(Without Centage) जल निगम को भुगतान हेतु रवैकृत / अवमुक्त किया जा चुका है।
2	Balance Amount for 4 th Payment Certificate/ Bill- March, 2020	रु 0 29245158.99 (फर्म को भुगतान रु 0 28911749.10 + जीएसटी रु 0 3469409.89) - LD of रु 0 3136000	अनुबंध के तहत 15 मई 2020 को सम्पन्न बैठक में Adhoc Payment रु 0 24179742 (Without Centage) जल निगम को भुगतान हेतु रवैकृत / अवमुक्त किया जा चुका है।
3	6 th Payment Certificate/ Bill- May 2020	रु 0 39313758.66 (फर्म को भुगतान रु 0 35321213.09 + जीएसटी रु 0 4238545.57) - LD of रु 0 246000	अनुबंध की वलाज 39, सेक्षन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
4	7 th Payment Certificate/ Bill- June 2020	रु 0 37116843.74 (फर्म को भुगतान रु 0 33521289.05 + जीएसटी रु 0 4022554.69) - LD of रु 0 427000	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र. स.	विवरण	3 rd Payment Certificate/ Bill- Feb 2020 (Balance Amount) (In Rs.)	4 th Payment Certificate/ Bill- March 2020(Balance Amount) (In Rs.)	6 th Payment Certificate/ Bill- May 2020 (In Rs.)	7 th Payment Certificate/ Bill- June 2020 (In Rs.)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	4902329	3969333	34664558.27	31506927.87
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	588279	476320	4159746.99	3780831.34
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0	71773	0	0
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	490233	396933	3466455.83	3150692.79
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	5980841	4914359	42290761.09	38438452
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			रु 0 91624413.09	

उक्त के क्रम में आगरा जोन हेतु उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रु 0 91624413.09/- की संस्तुति की गयी।

(iii) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-8, गाजियाबाद जोन (मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-5)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0स0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल की धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
--------	-----------------------------------	---	---------

गाजियाबाद जोन
(गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुज्जफरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)

1	Balance Amount for 5 th Payment Certificate/ Bill- April, 2020	रु0 64614711.00 (फर्म को भुगतान रु0 61910674 + जीएसटी रु0 7429281+ Diesel रु0 332277 - LD of Rs. 5057521)	अनुबन्ध के तहत 15 मई 2020 को सम्पन्न बैठक में Adhoc Payment (Without Centage) रु0 47084250 जल निगम को भुगतान हेतु रवीकृत/अवमुक्त किया जा चुका है।
2	6 th Payment Certificate/ Bill- May, 2020	रु0 69610445 (फर्म को भुगतान रु0 66448079 + जीएसटी रु0 7973769 + Diesel हेतु 321122 - LD of Rs. 5132525)	अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
3	7 th Payment Certificate/ Bill- June, 2020	रु0 62669725 (फर्म को भुगतान रु0 60517356 + जीएसटी रु0 7262083 + Diesel हेतु 459050 - LD of Rs. 5568764)	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि—

क्र. स.	विवरण	5 th Payment Certificate/ Bill- April, 2020 (Balance Amount) (In Rs.)	6 th Payment Certificate/ Bill- May, 2020 (In Rs.)	7 th Payment Certificate/ Bill- June, 2020 (In Rs.)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	15110322.44	60971152.15	47235899.50
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	1813238.69	7316538.26	5668307.94
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0	231555	459050
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेटेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	1511032.24	6097115.22	4723589.95
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	18434593.37	74616360.63	58086847.39
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि		151137801.39 (18434593.37+74616360.63+58086847.39)	

उक्त के क्रम में गाजियाबाद जोन हेतु उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रु0 151137801.39/-
की संस्तुति की गयी।

(iv) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-5, गोरखपुर जोन (गोरखपुर, आयोध्या एवं सुल्तानपुर) (मेसर्स तोसिंहा वाटर
सलूशन्स लिमिटेड) के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-6)

उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र. सं	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल की धनराशि, (रुपये में)
1	1 st Payment Certificate/ Bill- December, 2019 (29-12-2019 से 31-12-2019)	गोरखपुर 873292/- (फर्म को भुगतान 779725 + जीएसटी रु० 93567) अयोध्या 211598 (फर्म को अग्रानी 188927 + जीएसटी रु० 22671) सुल्तानपुर 58220/- (जीएसटी सहित)
2	2 nd Payment Certificate/ Bill- January, 2020	9048710/- (फर्म को भुगतान 8075157 + जीएसटी रु० 966858 + डीजल रु० 6695) 2193388 (फर्म को भुगतान 1952271 + जीएसटी रु० 234273 + डीजल रु० 6844) 601601/- (जीएसटी सहित)
3	3 rd Payment Certificate/ Bill- February 2020	9050008/- (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रु० 966859 + डीजल रु० 25992) 2193052 (फर्म को भुगतान 1952271 + जीएसटी रु० 234273 + डीजल रु० 6,508) 601601/- (जीएसटी सहित)
4	4 th Payment Certificate/ Bill- March 2020	9133035/- (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रु० 966859 + डीजल रु० 109019) 2412715 (फर्म को भुगतान 2148577 + जीएसटी रु० 257829 + डीजल रु० 6309) 601601/- (जीएसटी सहित)
5	5 th Payment Certificate/ Bill- April 2020	9024016/- (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रु० 966859) 2406406 (फर्म को भुगतान 2148577 + जीएसटी रु० 257829) 601601/- (जीएसटी सहित)
6.	6 th Payment Certificate/ Bill- May 2020	9305418 (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रु० 966858 + डीजल रु० 281403) 2587672 (फर्म को भुगतान 2298976 + जीएसटी रु० 275877 + डीजल रु० 12819) 601601 (फर्म को भुगतान 537144 + जीएसटी रु० 64457)
7.	7 th Payment Certificate/ Bill- June 2020	9224497 (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रु० 966858 + डीजल रु० 200482) 2582031 (फर्म को भुगतान 2298976 + जीएसटी रु० 275877 + डीजल रु० 7179) 616231 (फर्म को भुगतान 537144 + जीएसटी रु० 64457 + डीजल रु० 14630)

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र. सं	विवरण	1 st Payment Certificate / Bill- December, 2019 (29-12-2019 से 31-12-2019)	2 nd Payment Certificate / Bill- January, 2020 (Balance Amount)	3 rd Payment Certificate / Bill- February 2020 (Balance Amount)	4 th Payment Certificate/ Bill- March 2020 (Balance Amount)	5 th Payment Certificate/ Bill- April 2020 (Balance Amount)	6 th Payment Certificate/ Bill- May 2020	7 th Payment Certificate/ Bill- June 2020

मैन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	334761.92	3069005.04	2956196.86	3123263.15	4456280.59	10558417.77	10595780.15
पूर्ण चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	40171.43	368280.60	354743.62	374791.58	534753.67	1267010.13	1271493.62
उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	0	13539	32500	115328	0	294222	222291
उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (1+2+3+4)	33476.19	306900.50	295619.69	312326.32	445628.06	1055841.78	1059578.02
उ0प्र0 जल निगम को पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि (10 प्रतिशत सेन्टेज / सुपरवीजन एवं 12 प्रतिशत जीएसटी सहित)	408409.54	3757725.14	3639060.17	3925709.05	5436662.32	13175491.68	13149142.79
उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	681882	7046109	7046109	7046109	6390794	00	00
					43492200.69		
					(408409.54+3757725.14+3639060.17+3925709.05+5436662.32+13175491.68+13149142.79)		

उक्त के क्रम में गोरखपुर जौन हेतु उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रु0 43492200.69/- की संस्तुति की गयी।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष पूर्व विगत बैठक दिनांक 12.06.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुबन्ध के सेक्शन-IV, क्लाज 39 के अनुसार, Monthly Contract Value की Fixed Cost i.e. 60 % धनराशि अवमुक्त किया गया था Monthly Contract Value की Variable Cast i.e. 40% Fixed Cost i.e. 60 % धनराशि के सापेक्ष 1st Payment Certificate / Bill- December, 2019 (29-12-2019 से 31-12-2019) से 5th Payment Certificate/ Bill- April 2020 तक के Balance Payment एवं 6th & 7th Payment Certificate/ Bill- May & June 2020 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

“उपरोक्तानुसार पैरा (i), (ii), (iii) एवं पैरा-(iv) में उल्लेखित कुल धनराशि रु0 428138163.39/- (रु0 141883748.22+ रु0 91624413.09 + रु0 151137801.39 + रु0 43492200.69), उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जानी है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।”

(v) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-1515 / Payment O&M VATech Wabag/35 दिनांक 21.07.2020 द्वारा 05 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0 के दिनांक 16.12.2019 से 30 जून, 2020 तक प्रमाणित विद्युत देयक रु0 52437179.21/- (पाँच करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार एक सौ उन्यासी व पैसे इक्कीस मात्र), निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि टोरन्ट पावर लिमिटेड को भुगतान किया जाना है।

निर्णय : महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा दिनांक 16.12.2019 से 30 जून, 2020 तक टोरन्ट पावर लिमिटेड के प्रमाणित विद्युत देयक रु0 52437179.21/- (पाँच करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार एक सौ उन्यासी व पैसे इक्कीस मात्र), की स्वीकृति शासन से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

(vi) अन्य बिन्दु प्रमुख सचिव नगर विकास/अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा :

मुख्य अभियन्ता (लोकेश) उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक संख्या-345/कैम्प मु.अ. (ल.क्ष.)
 गोप्रोनिइ0/दिनांक 29.07.2020 द्वारा Force Majeure due to Covid - 19 Pandemic के तहत Request for
 Extension of Time Clause 39.4 (III) of Section IV and waiver of penalties (मेरसर्स सुएज इण्डिया प्राइलि0) लखनऊ
 के अनुरोध पत्र दिनांक 08.06.2020 एवं महाप्रबन्धक, गोप्रोनिइकाई, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 27.07.2020
 में चार्टिं परिस्थिति में की गयी संस्तुति के क्रम में प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक
 31.05.2020 तक 66 दिन की समयवृद्धि प्रदान करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित किया है।

निर्णय : समिति द्वारा प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक 66 दिन
 की समयवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा के पत्रांक संख्या-465/022-407(बी) /2020 दिनांक 05.08.2020 द्वारा
 बनसिटीवन आपरेटर के अन्तर्गत पैकेज-8, गाजियाबाद जोन, पैकेज-4 लखनऊ जोन एवं पैकेज-6 आगरा जोन
 से संबंधित विद्युत व्यय का प्रावचन /प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया है :-

क्रमांक	जोन / एस0टी0पी0	धनराशि रु0 लाख में
1	पैकेज-8 जोन गाजियाबाद, जनपद रामपुर में 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0पी0एस0-ए एम0एल0-बी), 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0पी0एस0- पहाड़ी गेट) एवं 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0पी0एस0, आई0पी0एस0) जनपद बिजनौर में 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं एम0पी0एस0।	147.60
2	पैकेज-4 लखनऊ जोन	4511.90
3	पैकेज-6 आगरा जोन	1388.94
4	कुल योग	6048.44

निर्णय : पैकेज-8 जोन गाजियाबाद के जनपद: रामपुर व बिजनौर हेतु रु0 147.6 लाख, पैकेज-4 लखनऊ हेतु रु0
 4511.90 लाख तथा पैकेज-6 आगरा हेतु रु0 1388.94 लाख (कुल रु0 6048.44 लाख) के लिये ओएमएण्डएम
 - बनसिटीवन आपरेटर अनुबन्ध के प्रारम्भ तिथि से 31 मार्च, 2021 तक के संबंधित विद्युत व्यय का प्रावचन
 /प्रस्ताव के Budgetary Provision की स्वीकृति शासन से प्रदान की संस्तुति की गयी। उ0प्र0 जल निगम द्वारा
 विद्युत बिलों को प्रमाणित किया जायेगा एवं तदनुसार वास्तविक विद्युत बिल के सापेक्ष भुगतान किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश
 संख्या-892/नौ-9-20-89ज/2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा रु0 250 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन,
 अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि रु0 428138163.
 39/- (रु0 बयालिस करोड़ इक्यासी लाख अड़तीस हजार एक सौ तिरसठ व उनतालिस पैसे मात्र) अवमुक्त की
 जानी है। यह कार्यवृत्त समक्ष प्रधिकारी के अनुमोदन दिनांक 21.08.2020 के क्रम में जारी किया गया है।

(डा० कैजल)
 निदेशक,
 नगरीय निकाय निदेशालय

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, लखनऊ।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।